

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 111 / दो-11-17 / 23

नर्मदापुरम, दिनांक 02 / 02 / 24


मैं रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :-

अ- पेज क्रमांक 16 एवं 17 की कंडिका 28 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 15 के पश्चात कंडिका 16 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

16- तहसील पिपरिया एवं पचमढ़ी के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना के समस्त दावा प्रकरण।

ब- पेज क्रमांक 16 एवं 17 की कंडिका 29 द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 6 के पश्चात कंडिका '6-अ' निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

6-अ - तहसील बनखेड़ी के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना के समस्त दावा प्रकरण।


(रामकुमार चौबे)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ० क. 411 / सां०लि० / 2023

नर्मदापुरम, दिनांक 02/02/24

कार्यविभाजन पत्रक 2023 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम / सिवनी मालवा / इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया
- 03- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनी मालवा / सोहागपुर / पिपरिया
- 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
- 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वास्ते- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (न०प्र०)